

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

दिनांक : 17.07.2025

क्रमांक: विज्ञापन सं. 04 / EXAM / V.O. / RPSC / EP-I / 2025-26

आयोग हारा पशुपालन विभाग के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1983 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) के 1100 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल विकल पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आवश्यक पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

Name of Post	No. of Post(s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
Veterinary Officer	1100	250	73	29	8	139	40	16	3	129	37	14	3	145	43	17	4	34	11	4	1	70	20	8	2

Horizontal Reservation :-

1. Ex. Ser. - (Gen./UR-34 (Backlog-16), SC-13 (Backlog-6), ST-10 (Backlog-4), OBC-18 (Backlog-8), MBC-4 (Backlog-2), EWS-9 (Backlog-4))

नोट:- 1. सीरिज आज्ञान के अन्तर्गत भूतपूर्व सीनिक हेतु दर्शाये गये बैकलोग के पद पूर्ण भर्ती-2019 के बैकलोग के हैं।

2. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विकल दर्शाये गये पदों में से 39 पद अनुसूचित जाति के व अनुसूचित जनजाति के बैकलोग के हैं जिन्हे प्रथम बार अपनीत किया जा रहा है।

3. P.H. श्रेणी के आवश्यक पदों के संबंध में किया जायेगा से वर्णीकरण प्राप्त होने पर पृष्ठक से जारी किया जायेगा।

Abbreviations Used: GEN – General, U.R. - Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorced, BLV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, I.D. - Intellectual disability, M.I. - Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis - Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped.

नोट:-

1. कार्यिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीढ़ी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों द्वारा कार्यिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीढ़ी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा चारपालता अवधीनी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों को प्रशक्तात्पारी तीन भर्ती वर्गों के लिए अपनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्गों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अवधीनी वर्गों द्वारा यित्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यह किसी भर्ती वर्ग में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ग को इस संघीयमन के प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा परन्तु यह और विशेष वर्ग में से नशा जा सकेगा जिसके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पारी वर्गों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से नशा जा सकेगा।

2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आवश्यक पदों हेतु प्राप्त एवं उपयुक्त अवधीनी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार समाप्ति किया जायेगा।

3. किसी वर्ष विशेष में या तो विद्या या विज्ञान विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा महिलाओं ने से किसी में पात्र और उपद्युक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रयोग अनुसार-परिवर्तन हासा, अव्याप्त विद्यायों के लिए आवश्यक रिक्तियों को विज्ञान विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आवश्यक रिक्तियों से नशा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विद्या और विज्ञान विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियों तकी प्रवर्गों की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपद्युक्त नहिला अभ्यर्थियों वर्ग के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पारी वर्गों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से नशा जा सकेगा।

4. विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आवश्यक रैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

5. राजस्थान रिविल सेवा (भूतपूर्व सीनिकों का आवेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सीनिकों के लिए रिक्तियों का आवश्यक सीढ़ी भर्ती में प्रवर्गवार रैतिज (Categorywise-Horizontal) होता है। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सीनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी और पात्र तथा उपद्युक्त नहिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियों तकी प्रवर्गों की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी। और पात्र तथा उपद्युक्त नहिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आवश्यक रिक्तियों पश्चात्पारी वर्गों को अनुपलब्ध नहीं किया जाएगा।

6. राजस्थान विवाहानन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ग में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ग में अपनीत भरी जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ग में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्तियों तकी निःशक्तजन के अवलोकन अन्य व्यक्तियों से भर रखेगा।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अव्याप्त विवाह/परिवर्तन वर्ग के आवेदकों को उक्त लाभ देख नहीं होने के कारण उक्त सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। मानवीय संवर्चन न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं मानवीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहीपराना राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओपीसी/एमबीसी वर्गों में आवश्यक का लाभ नहीं दिया जायेगा। इन्हाँ उसामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

8. कार्यिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट विलासी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक का लाभ देय होगा। दिप्पनी- “विनु संख्या 01 से 08 तक के प्राक्षयान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आवश्यक होने की स्थिति में ही लाभ होगा।”

शैक्षणिक योग्यता :-

(1) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or its equivalent from a University established by law in India.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

नोट :- 1. अभ्यर्थी को राजस्थान पशु चिकित्सा परिवर्तन, जयपुर से अस्थायी/संघीय आवेदन की अनियमित तिथि तक होना आवश्यक है।

2. अभ्यर्थी को अनियमित इन्टर्नशिप लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व तक कमज़ोर दर्ता एवं भूतपूर्व सीनिकों के लिए आवेदन जारी की जाएगी।

Note: 1. अभ्यर्थी को वाइक्ट शैक्षणिक अहृता के शैक्षणिक योग्यता, अनुमत व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना वाइक्ट तथा अभ्यर्थीयों को आवश्यक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक अंतिम आवेदन पत्र को प्रस्तावितरी (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना के अवार एवं आवेदन करना तथा अहृता नहीं होने पर ही उसे प्रस्तावितरी (Withdrawal) नहीं किया जाना गारंटीय न्याय रैकिट, 2023 (BNS) की घास 217 के तात्पृथक दृष्टियां अपराध हैं। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में कालान्तरित/पात्रता याच/साक्षात्कार के द्वारा आपात पार्द जाने पर इस परीक्षा के अंतिम आवेदन करने को नियमित करते होंगे।

पे-ट्रायिलस लेबल L-14
नोट :- नाल्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षकाल में नियम नाल्यिक वेल (Fix Pay) देय होगा।

कायु सीना
दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
नोट :- उक्त पद आपोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आपोग की गणना का आधार दिनांक 01.01.2020 को रखा गया था। तथा आपोग की गणना का आधार दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उनके संबंधित रोग नियम विज्ञापित किया जाएगा।

विज्ञापित पदों के अनुकूप दशाई गई वर्गवार ली शैक्षिक योग्यता के अनुसार सेवा/अन्य विविध अंगीयों हेतु देय आयु सीना में छूट के प्राक्षयान
अभ्यर्थीयों का वर्ग एवं अन्य विविध अंगीयों

अ.सं.	पे-ट्रायिलस लेबल L-14 नोट :- नाल्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षकाल में नियम नाल्यिक वेल (Fix Pay) देय होगा।	अधिकायु आयु में देय छूट Five Years
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आवश्यक लूप से उपयुक्त अभ्यर्थी	5 वर्ष Five Years

2

Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State		
2.	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान सभ्य की अनुमति जाति, अनुमति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जहिला अधिकारी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
पिछड़ा एवं विशिष्ट विवाह (परिवर्तन) महिला Widow and divorced Women		आधिकरण आयु सीमा नहीं No Upper age limit
4.	Explanation: - That in the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	
5.	अवधारीय नामलिखित में राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे सकती है। that the upper age limit mentioned above, may be relaxed by 5 years in exceptional Cases by the Government in consultation with the Commission.	
6.	रिजर्विस्टन अधिकारी वा सेवा कर्मचारी जो रिजर्व में द्वासफर किये गये हों के लिए उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। that the upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of reservists namely the defence service personnel who were transferred to the Reserve.	
7.	ऐसे भूतपूर्व की भौमली में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा मुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिखिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषित के पूर्ण अधिकारी नहीं था। that the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of Ex-prisoner who was not overage before his conviction.	
8.	इस सेवा के किसी पद पर अस्पाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा बाहे वे आयोग के राज्य आधिकारी उपरिवर्णित के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें वो अवसर दिये जायेंगे। that the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto 2 chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	
9.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में उनके द्वारा, राज्यीय कैडेट कोर की गयी सेवा के बराबर वी कालावधि को शिखिल किया जायेगा यदि परिवारिक आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अधिकारी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। that the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the National Cadre Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
10.	राज्य सरकार के कार्यकालार्थी के संबंध में substantive हेसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in Substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.	
11.	निर्मुक्त आपात कर्मीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कर्मीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेवा से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा बाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेवा में कर्मीशन प्राप्त करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। that the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the commission in the Army.	
12.	पंचायत राजितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पश्चिक सेक्टर उपकरणों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवापत्र व्यक्तियों के लिए अधिकरण आयु सीमा 40 वर्ष होगी। that the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	
13.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेविकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेविकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिखिलकरण के पश्चात यदि अनुशोध आयु 50 वर्ष से अधिक नियकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सभी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुशासनार्थी है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. राजस्थान विभागीय अधिकारी (क-2) विभाग के परिषद दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेविकों का आमेलन) नियम, 1988 यथाराशोधित के प्रावधानों के होते हुए नी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिखिलता अन्य लोक सेवकों/अन्य अधिकारी को देय है, वह भूतपूर्व सेविक की भी देय होगी अधीन आयु सेवी शिखिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो हितकर प्रावधान है, उसका लागू भूतपूर्व सेविकों को मिलेगा।	
14.	राजस्थान विवाहांगन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उत्तिष्ठित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.	
नोट - विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देव आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, उक्त दी निश्चयानी सारे जायेंगे।		
नोट -		
1.	उपर्युक्त वर्गों आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्य अधिकारी को उपर्युक्त वर्गों के बिन्दी नी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 14 में उत्तर्युक्त प्रावधान के अनुसार विवाहांगन अधिकारी को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।	
3.	कार्यक्रम (क-2) विभाग के परिषद दिनांक 26.7.2017 एवं पढ़ दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व लैटिटेज (Horizontal) आकाश में जंतरांत किसी श्रेणी के हिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अन्य द्वारा शूलक के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य विवाहांगन विद्युति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्य की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
4.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्य की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
5.	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अकिल किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक बाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अकिल प्रावधान ही मान्य होगे।	
अन्य विवरण		
संबंध प्रक्रिया	अन्य अधिकारी का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरप्रसिद्ध के मूल्यांकन में संबंधित/मोडलेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकता। संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अन्य अधिकारी को नाम नियुक्ति प्राप्तिकारी/शासन के अनुशासित किए जायेंगे जो शेरिट के त्रैम व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुगति रूप में (Offline/Online) दी जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुगति प्राप्तिकारी/शासन के अनुशासित किए जायेंगे जो शेरिट के त्रैम व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा का स्थान व तारीख	परीक्षा स्थानमय रूप से जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुगति प्राप्तिकारी/शासन के अनुशासित किए जायेंगे।	
आवेदन अवधि	विनायक 06.08.2025 से विनायक 03.09.2025 दोप्रति 12:00 बजे तक।	

आवेदन प्रक्रिया	<p>1. उक्त पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वेषण अध्यार्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा—निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपराना ही अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अध्यार्थियों के लिए दिशा—निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथा प्रिय किसी विशिष्ट नई/परीक्षा हेतु संबंधित मर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्राक्कान ही लागू होंगे।</p> <p>2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यार्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अध्या एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अध्यार्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकियड़ी/समकक्ष परीक्षा परीक्षा एवं आवार कार्ड के विवरण का इन्हाज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।</p> <p>3. जिन अध्यार्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया था तुका है, वे अध्यार्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>4. अध्यार्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकियड़ी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आवार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आवार/SSO प्रोफाइल में अकित विवरण का ऐक्सिपिक दस्तावेजों में अकित प्रविष्टियों से साक्षात्तानुसूचित मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आवार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Corrections) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र मानने की कार्यवाही होंगी।</p> <p>Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र माने से पूर्व अध्यार्थी अपने आवार कार्ड में वर्ज प्रविष्टियथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जीव/परस्त ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वयं प्राप्त कर ली जाती है। यदि आवार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष का उत्तम अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवार कार्ड में ब्रूटीपूर्ण प्रविष्टित तथा फोटो को अपडेट कर ले ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में वर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश—पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आवार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।</p> <p>5. अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>6. अध्यार्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बैंक हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कथा में अभिजागर की उपस्थिति में अध्यार्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृष्ठक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।</p> <p>7. अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की विनाकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर संस्पार करने हेतु सत्य लेकर आयें।</p> <p>8. अध्यार्थियों की शुतलेखक की सुक्षिया प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में शुतलेखक संखंडी विकल्प वह अनिवार्य रूप से चयन करना होगा।</p> <p>9. अध्यार्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित हुई अर्जित की जा चुकी सभी ऐक्सिपिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में सम्पूर्ण एवं आवश्यक हीर पर अकित होंगे।</p> <p>10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (Application No.) अकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जड़ा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</p> <p>11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।</p> <p>12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन—लाइन आवेदन करें। उल्ल सूचना देने/तथ्य सुपाने पर आयोग अध्यार्थी पर लिभार सहित निम्नानुसार कर्तव्यवाही के लिए रखनें होंगा।</p> <p>13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की झीलीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से मिल राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को राजानांव वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</p> <p>14. अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p> <p>15. अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग यी वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय—समय पर जवाबोंकन करें वहाँकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग यी वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती हैं। पृष्ठक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>16. आयोग द्वारा अध्यार्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के अंतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>
-----------------	---

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :— ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् मर्ती आवेदक को किसी प्रकार की की शुटि का पता लगता है तो अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है तथा प्रिय किया जायेगा।

1. यदि आवेदक कोई अध्यार्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निम्नानुसार शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन कर सकता है।

Note: विभिन्न विघड़ा/लत्ताकशुद्धा/परिशृंखला महिला ऑनलाइन आवेदन की अंतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन की स्थिति में ही यानि परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध आवेदन—पत्र की अवधि के अंतर्गत अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है।

3. **One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के दौरान ऑनलाइन आवेदन में अध्यार्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी भी स्वीकार की जायेगा।**

4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अन्य कोई प्रकार का एस.एस.एस. के नाम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जायेगी।

5. सारी प्रकार के अनुग्रहान हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।

6. आयोग द्वारा आयोग आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि संशोधन नहीं किया जायेगा।

7. आयोग द्वारा अध्यार्थी से उक्त प्रक्रिया के अंतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त प्रक्रिया के उपरान्त कोई अध्यार्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकलारीय बंजीयन शुल्क :— कार्मिक (क-२) विभाग के परिवर्तन विनाक 10.04.2023 के द्वारा समर्थ भर्ती परीक्षाओं में एकलारीय बंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है—

निम्नलिखित है-

- कोई अमर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भारी संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपरिक्षण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अमर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
 - अमर्थी द्वारा शुल्क 750/- लघु का भुगतान करने के पश्चात् ही एकबारी एंजीबी शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
 - एक बार O.T.R. मुकः चालू (Unblock) होने पर यदि अमर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपरिक्षण रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
 - पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अमर्थी के द्वारा राशि लघु 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओटीआर सुकिला मुकः चालू की जायेगी।
- टिप्पणी—यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा में उपरिक्षण होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा लिखि पर्याप्त आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने पर इस परीक्षा में ओटीआर प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपरिक्षण नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/विद्यार्थिनी को सुतलेखक/कृतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश—

- अमर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यार्थिनी/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा सुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अनिवार्य यह नहीं है कि वह सुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पत्र/बोर्ड है। सुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अमर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अमर्थी को सुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- ऐसे विद्यार्थिनी अमर्थीं को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व विद्यार्थिनी का विकल्प प्रमाण—पत्र, अमर्थीं एवं सुतलेखक का वचन—पत्र के फोटो पहचान पत्र व ईकाइक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्रीयीकृत की प्रस्तुत करनी होगी।
- ऐसे विद्यार्थिनी अमर्थीं जो आयोग/केन्द्रीयीकृत से सुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अमर्थीं को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व विद्यार्थिनी का विकल्प प्रमाण—पत्र, अमर्थीं का वचन—पत्र केन्द्रीयीकृत को प्रस्तुत करना होगा।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 में Section-2(r) के तहत परिभासित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की द्वितीयी की भेदी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में गुरुत्व विकल्पा एवं त्वारक्य अधिकारी/विकल्पा अधीकारी से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C) एवं विद्यार्थिनी का विकल्प प्रमाण—पत्र एवं सुतलेखक की सुविधा देय होगी। उक्त श्रेणीयों के अलावा Section-2(r) के तहत परिभासित अन्य भेदी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में नुस्खा विकल्पा एवं त्वारक्य अधिकारी/विकल्पा अधीकारी से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), विद्यार्थिनी का विकल्प प्रमाण पत्र एवं सुतलेखक का वचन—पत्र प्रस्तुत करने पर सुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या कृतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभासित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की द्वितीयी की भेदी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में गुरुत्व विकल्पा एवं त्वारक्य अधिकारी/विकल्पा अधीकारी से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं विद्यार्थिनी का विकल्प प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर सुतलेखक की सुविधा देय होगी। ऐसे अमर्थीं को सुतलेखक की सुविधा और/या कृतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अमर्थीं को सुतलेखक की सुविधा और/या कृतिपूरक समय देय नहीं होगा।
- भुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण—पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information > Important Downloads > Instructions for availing services of Scribe" के अन्वर्गत अवलोकन करें। वेबसाईट पर उपलब्ध सुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

Scheme of Examination

S. No.	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration
Part-A	General Knowledge of Rajasthan	40	40	2 Hours & 30 Minutes
Part-B	Concerned Subject	110	110	
Total		150	150	

Note: - *The detailed Syllabus will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

- The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.
- There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: - Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

उत्तम पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओटीआर उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश—

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अंति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अमर्थी Online Application Form में अपना वही नोबाईल नम्बर व ई—मेल आईडी अंकित करें गिर्स पर वह परीक्षा/साकारकार इत्यादि संबंधी भारी सूचनाएं SMS & E-Mail के नाम्यम से भालहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित नोबाईल नम्बर व ई—मेल आईडी बदलने/बदल होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अमर्थी की स्वयं की विनोदोदारी होगी।
- अमर्थी यथासम्भव नोबाईल नम्बर एवं पत्र ब्लॉगहार के पाते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
- आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र अनियन रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रतिविधियों से आवश्यक हो ले कि उनीं प्रतिविधियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रतिविधियों को ही सही नामकर आयोग द्वारा आयोग की सुविधा देय होगी।
- अमर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमी में आवेदन की अनियन दिनांक का इन्टरजार किये जिन ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं ई—मिश्र/अन्य किसी स्वीकृत से ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरते/मरवाते समय जिसी प्रकार भी कोई गलत प्रतिविधि/मूलवास त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सार्वजनिक ऑनलाइन आवेदन—पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/भेदी, आयु (जन्म दिनांक), विशेष वौग्यात् इत्यादि संबंधी दर्ज प्रतिविधियों की जीवंत आवश्यक स्थूल से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिंट लेकर उसकी जीवंत आवश्यक स्थूल से करने के पश्चात् त्रुटि का सम्पूर्ण वायित स्वयं अमर्थी को ही होगा। साथ ही आवेदक स्वयं ई—मिश्र अथवा अन्य स्वीकृत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं अन्य स्वीकृत पर जाकर आवेदन करवायें। ई—मिश्र अथवा अन्य स्वीकृत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आवेदक ऑनलाइन आवेदन—पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अमर्थी को विस्तार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वयंत्र होगा।
- यदि आवेदक द्वारा आयोग की भरी से गिर्स भेदी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिवर्तन निर्धारित अवधि के पश्चात् भेदी में सुधार की सुविधा/अनुसृति नहीं ही जाएगी। गलत भेदी में आवेदन वरने पर आवेदक का आयोग द्वारा किसी भी स्वर वरद रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसृति जाति/अनुसृति जातिजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट लिंगादी/भूतपूर्व सीनिक/अनुसृति लेंब्र/विशेष विवाह/ललकशुदा/परिवारकार/विकल्पाता/राजनीतिक कार्यालयी/नेंट्रोलिंगिक कार्यालयी/विशेषज्ञाता/वर्ग/अतिविशेषज्ञाता/वर्ग से उपरिक्षण नहीं किया जायेगा और ऐसे अमर्थीयों को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक



	<p>द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कारबाही की जाएगी। अम्बरी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/उत्पादेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/वक का बना होगा चाहिए, यह सम्प्रतुत नहीं करने पर आवेदक/अम्बरी की पात्रता को अनावश्यक/मूल वर्ग की रिक्ति के विलक्षण विवारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रख्य अम्बरी की होगी।</p>
7.	<p>आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन—पत्र/आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक अपांचक कार्यालय को पूर्ण सूचना साहित प्राप्त करने के बाद अपांचक लघु वर्ग की अम्बरी को आवेदक द्वारा उननिम्न (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रयेश—पत्र जारी करने का बहु अनिवार्य नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनिम रूप से सही मान ली गई है कि अधिक उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लिखित प्रविधियों अधिक द्वारा आवेदक को आवेदक को विस्तृत आवेदन—पत्र ऑनलाईन भरना होगा एवं उसके साथ समस्त आवश्यक उत्पादेजों की स्वदर्भागित फोटो प्रतिक्रिया एवं परीक्षा हेतु जारी हृ—प्रवेश पत्र की प्राप्ति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जैविक गुल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतिक्रियों से करने समय यदि अम्बरी की आयु शीक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अंतिम प्रयेश—पत्र जारी करने का अवधि/उत्कृष्ट उत्पादेज/सूचना पूर्व सैनिक/अनुसूचित विवाह/उत्तराधिकारी/विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विभाग/उत्तराधिकारी अन्य शर्तों के प्रतिनियन्त्रण अम्बरी की अपांचक जाता होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर प्रदद की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी रख्य अम्बरी की होगी।</p>
8.	<p>किसी भी भर्ती परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अम्बरी को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु नियमित समाचारित के लिए लिक छोला जायेगा। नियमित समाचारित के उपरान्त बहु लिक रखत ही नियमित हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र रद्दीकार नहीं किया जायेगा एवं अम्बरी की अन्यायिता रद्दी कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अम्बरी की होगी।</p>
9.	<p>माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरटीएसकी बनाम प्रियका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 ये अनुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक विवाह/परिवता/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी तथा विभाग/उत्तराधिकारी/परिवता एवं अम्बरी की अपांचक जाता होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर प्रदद की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी रख्य अम्बरी की होगी।</p>
10.	<p>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने/कुटि त्वार संशोधन अवधि के पश्चात कोई अम्बरी आकर्षित रूप से विवाह/विवाह हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/संवैधानिक परीक्षा/साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विवाह हेतु आधार—कार्ड, दूर्दृष्ट प्रमाण—पत्र, लिंक दस्तावेज (वृक्ष—विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, गतवाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा विवाह हेतु नियमित प्रमाण—पत्र एवं 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क मुआतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रत्येक चरण की परीक्षा उपरान्त अम्बरी विवाह/विविधन विवाह होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ उसे बाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यु/पुनरुत्पादन नहीं किया जायेगा।</p>
11.	<p>विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/परिवता परिवर्तन की अंतिम दिनांक तक सहम न्यायालय द्वारा परित न्यायालय की दिक्षी (माननीय सचिवालय उच्च न्यायालय, जयपुर) में DBSA No. 72/2022 के निर्यानसारे प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। परिवता/उत्तराधिकारी/विविधन विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकल्प/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लिमिट है एवं दिक्षी ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्ति नहीं होती है, तो परिवता/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य का लाभ देव नहीं होगा।</p>
12.	<p>विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/परिवता परिवर्तन की अंतिम दिनांक तक अवधि तक अधिक विवाह के द्वारा वर्ग/क्लीन संशोधन करने पर उसे वर्ग/क्लीन संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संकेती शापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p>
13.	<p>आवेदक उक्त पत्र हेतु तभी आवेदन करे जब वह उक्त पत्र हेतु विभागन में नियमित निन्म व उच्च आयु तीना के अन्तर्गत वाहित शीक्षणिक योग्यता एवं अनुमति संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता है। विभागन में दी गई वाहित शीक्षणिक योग्यता एवं अनुमति को अंतिरिक्षत अन्य किसी योग्यता एवं अनुमति को आयोग द्वारा स्टीलार करनी होती किया जायेगा। आवेदक के पास विभागन में उल्लिखित अनुसार शीक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता एवं अनुमति को प्राप्त होने पर ही आधार पर रिव्यु/पुनरुत्पादन नहीं किया जायेगा।</p>
14.	<p>आवेदक को इस विभागन में दी गई आयु सीमा में घूट के अंतिरिक्षत अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संकेती घूट नहीं ही जायेनी।</p>
15.	<p>परीक्षार्थी को हृ—प्रवेश—पत्र पर उल्लिखित विस्तृत विवाह—निर्देशों की पालना सुनिरिक्षत किया जाना आवश्यक होगा।</p>
16.	<p>परीक्षा के दीर्घन प्रस्तुत पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तराधिकारी/परिवता के अंतिम दिनांक तक विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य का लाभ देव नहीं होगा। परीक्षार्थी द्वारा विवाह/वि�विधन विवाह/उत्तराधिकारी/परिवता के अंतिम दिनांक तक विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य का लाभ देव नहीं होगा।</p>
17.	<p>प्रश्न—पत्र में कुटि होने अथवा एक से अधिक त्वार गलत/सही होने अथवा उत्तर कुर्जी में गलती/कुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाह की विधित में आयोग के विवाह विवेषज्ञों के फैलन द्वारा वैयाकी विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य का लाभ देव नहीं होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद—विवाह विवाह नहीं होगा।</p>
18.	<p>परीक्षार्थी द्वारा कैन्टनार्टिक/अनियागर/आयोग द्वारा नियुक्त वाहितारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यता: पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर फिसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षाकृष्ण में किसी प्रकार की शिकायत के होने की स्थिति में लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा में व्यवहार/हेगाना करने एवं परीक्षा में अन्यायित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विलक्षण व्यवहार/केन्द्रार्थीकृष्ण जो भी उचित समझे तमसा कारबाही कर लकड़ा है। साथ ही परीक्षार्थी के विलक्षण विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य का लाभ देव नहीं होगा।</p>
19.	<p>यदि किसी अम्बरी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी नर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों की विवाह/विविधन विवाह/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी के विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य का लाभ देव नहीं होगा।</p>
20.	<p>सायं कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुर्लीना में घूट, आरक्षण इत्यादि के लिए राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य लाभ के कर्मचारी या केन्द्र लेवा के कर्मचारी सामान्य अम्बरी ही माने जाते हैं, उन्हें उत्तर लाभ नहीं दिया जायेगा।</p>

प्रमाण—पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक गो वर्ग विवाह (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अंतिम प्रयेश—पत्र जारी करने की अवधि/उत्कृष्ट उत्पादेज/सूचना पूर्व सैनिक/अनुसूचित शेत्र/विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/परिवता/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ व एवं अधिक विवाह के विवाह/विविधन विवाह प्रस्तुत करना सुनिरिक्षत कर लिया जाये:-

- कार्यिक (क-2) विभाग के परिपत्र विनांक 20.01.2022 एवं विनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अंतिम प्रयेश—पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारणों से अम्बरी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना नहीं होता तो ऐसे अम्बरी विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य के लाभी विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य की अपांचक जाता होगा। यदि किसी अम्बरी को विवाह/विविधन विवाह के विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य का लाभी विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य की अपांचक जाता होगा तो वह आवेदन की अंतिम तिथि को पश्चात जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अम्बरी को विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य का लाभी विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी/राज्य की अपांचक जाता होगा तो वह आवेदन की अंतिम तिथि को पश्चात जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
- * Note: समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र विनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा प्रस्तुत शापथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विवाह किया जायेगा। यदि किसी अम्बरी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।
2. पिछड़ा वर्ग/अंतिम प्रयेश—पत्र ने नियमानुसार पिता एवं नाता की अपांचकी आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता ये नाम, नियमान्वयन व आय के आधार पर उसका प्राप्तिकारी द्वारा विहित प्रालम्बन में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। यदि के नाम, नियमान्वयन व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अंतिम प्रयेश—पत्र के झीलीलेयर के अन्यायियों को आवश्यक का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अन्यायियों को Online Application Form में समान्य दर्दने की रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र समान प्राप्तिकारी द्वारा नियमित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित शेत्र का प्रमाण—पत्र कार्यिका द्वारा उत्तर अधिकृत विवाह/विविधन विवाह/उत्तराधिकारी द्वारा नियमित प्रपत्र के पश्चात जारी होने के पश्चात का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता ये नाम व नियमान्वयन के आधार पर उसका प्राप्तिकारी द्वारा विहित प्रालम्बन में जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम व नियमान्वयन के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
6. अंतिम रूप से कमजूर वर्ग का प्रमाण—पत्र (Income & Assets Certificate) अम्बरी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार परिवारिक आय के आधार पर समान प्राप्तिकारी द्वारा नियमित प्रालम्बन में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र प्रिया के नाम से द्वारा प्रिया एवं परि की पारिशिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है। ग्रीष्मिक/प्रीरक्षणिक शोग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साइटकार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अंतिम होना आवश्यक है तथा शेष राशी प्रमाण पत्र जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (स्कॉल प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण—पत्र), आयु (आयु जीवन की गतिशीलता हेतु सौकर्यपूर्ण परीक्षा प्रमाण—पत्र), उत्कृष्ट छिपाई (आयोग की बैकसाइट पर उपलब्ध विवाह—निवृत्तानुसार प्रमाण—पत्र), विवाहिता* (सम्पूर्ण भारत वर्ग के विस्तीर्णी भी राज्य के सहाय विविधता अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जिसमें नियमानुसार जीवी श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रिल कर्मचारी, संत्रालयिक कर्मचारी, नियानीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र एवं पति के नाम से लिंग प्रमाण पत्र (पुरुष—विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, साशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, नवदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पाते के नाम से नूज निकास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रक्रियुक्त करना आवश्यक होगा, अन्यथा विवाह श्रेणी/वर्ग का लान देय नहीं होगा। इसी प्रकार परिचयका/तलाकहुआ/ पितृक्षण विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक को पास नानीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी दिक्षी (नानीय राजस्वान सचिव न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के नियमानुसार) और नवाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परिचयका/ विच्छिन्न विवाह/तलाकहुआ श्रेणी/वर्ग का लान देय नहीं होगा।

*नोट— निदेशालय विशेष योग्यताजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिखांगता प्रणाल पत्र U.P.I.D./स्वाक्षरमन पोर्टल से पारी किये हैं ही मान लीजिए।

8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्राव्यवान – कार्मिक (क-2) दियाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन उर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/होती है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने साथम प्राधिकारी से नियुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदप्राप्त हो से पूर्व उसे समृद्धि नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक नियुक्त प्रमाण पत्र (N.O.C.) के अन्तर्गत पद का अवैदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व व्यवहार हो जाना/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदप्राप्त कालावधि को शिखिल कर सकता और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के बो नाह की कालावधि के भीतर पद प्राप्त करने के लिए अनुशासन किया जायेगा। कार्मिक (क-4/ 2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापति प्राप्ति पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आवश्यक का लाभ लेने के पश्चात् राजस्वान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा प्राप्त कर ली है तो राजस्वान सरकार के प्रधानमंत्री के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रारंभिति सामाप्त हो जायेगी। राजस्वान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक शिखिल कर्मचारी बना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहा किसी भी पद के लिए, किसी निमनतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को लेकिन इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निमातर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्द्धी के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्वान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्वान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद प्राप्त करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-बार औरों के बारे में कोई रूप स्थल घोषणा पत्र/प्रबन्धन देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्द्धी के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्वान सरकार के अधीन नियोजित/संविदा/अस्तादी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्द्धी के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। 'कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्वान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1986 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्वान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।'

9. जातन के परिवर्तन नियम प.6(18)गृह-13 / 2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिवर्तन के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विषाड पर्यायिन कराया जाना अनियापक किया गया है। तत्सम्बन्धी विषाड पर्यायिन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना जाऊनीय होगा।

10. ऐसा कोई भी अन्यर्थी, जिसको 01.08.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक नियरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जूल, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ाती नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वान्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, विन्तु किसी एक पश्चात्यार्थी प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानों पैदा होती है, वही बच्चों/सन्तानों की गुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई सन्तान जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वान्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्यर्थी जिसने पुनर्विषाड किया है जो किसी विधि के विलम्ब नहीं है और वह ऐसे पुनर्विषाड से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए नियरहित नहीं है तो उसे नियरहित नहीं किया जायेगा मदि ऐसे पुनर्विषाड से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपर्युक्त किसी विधि एवं विधिवाल विषाड/तलाकशुदा/परिवर्तनात्मकीय की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी विषाड-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना जाऊनीय होगा।

11. आवेदक को विभाग में उल्लेखानुसार आवश्यक बायित रीकार्डिंग योग्यता व अनुभव प्राप्ति-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विचित्रन विषाड/तलाकशुदा/परिवर्तनात्मकीय की नियुक्ति की अंतिम दिनांक तक एवं विषाड महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अध्ययन के द्वारा वर्ण/भेजी संशोधन करने पर उसे वर्ण/भेजी संशोधन की विभाग एक पुनर्विषाड नहीं किये जाने संबंधी विषय पत्र प्रस्तुत करना होता।

13. आवेदक को अन्तिम रीकार्डिंग संख्या का चारित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें भरित के सामन्य में कन के कन से कन "अच्छा" का उल्लेख/अकित होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को घटन उपराना आधारण सम्बन्धी पुलिस सत्त्वान्त प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपाराधिक घटना का चलनेत्र नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपाराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने वा प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचारणी होने पर नियुक्ति हेतु अपार नहीं।

15. आवेदक को घटन उपराना उत्तम प्राधिकारी द्वारा जारी विकिसा जाँच सम्बन्धी विकिसा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णतः से लवस्य है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/संस्कारी उपकानों ने नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अन्धकी की पात्रता के नियम में संबंधित सेवा नियम वो अनुसार आयोग का निर्णद अतिम होगा

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश -

अन्यथा औन्लाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रकाशन पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षणीयों हेतु आयोग द्वारा आयोग की डेब्ल्यूएस पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिक्षा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करने हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सामूहिति नियमोंदारी स्वयं आवेदक की होनी लगा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के द्वारा हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाइन प्रारूपन-पत्र/ऑनलाइन प्रारूपन-पत्र/पट-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। युक्ति आयोग द्वारा अन्यथा की मात्रा की जांच सम्बन्धित मरी परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात अस्वाई रूप से चबूत्रित अभ्यर्थीयों हाल क्रसुन विस्तृत आवेदन-पत्र से पूर्ण में कियो गयी औन्लाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को मरी जानने हुए मरी परीक्षा में अस्वाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अस्वाई अपूर्ण सूचना भरी है, तो अन्यथा का घ्यन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व उसकी समस्त विस्तृति आवेदक की होनी जिसके सम्बन्ध में अन्यथा को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह संस्कृतीयनीय है कि आधीर द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु लगभग निश्चित उक्तानुसार रूपरूप की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-नियर/अन्य स्रोत द्वारा किये गए औनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना यह जाती है एवं उपर्युक्त नियरिंग प्रक्रिया अनुसार अन्यथा द्वारा औनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक पाठित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पाठित नहीं रखता है, इस्यादि के कारण आवेदक का औनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र असंग द्वारा आर्जि/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी पार्श्वन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अपवधी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

न्य बिन्दु व सूचना :- एकारीय पंचीयन सूल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रणाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित कन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर का संकेत है। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में सामग्री-सामग्री का अपलोडन आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर का संकेत है। इसके अतिरिक्त इसी भी प्रकार के नार्ग निर्देशन/सूचना/उपकृतीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अधिवा दूसराओं सं- 46-2935212 एवं 2835200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त प्रब अधिकार समिति राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को संबोधित किया जाए।

मार्क: एफ 7(01) EXAM / V.O. / RPSC / EP-1 / 2023-24 / 4 |

टोकिपि :- उप शासन सचिव, पश्चिमालन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र झमाक एफ.वी.5(आर्थना)रत्ता / 3 / 2023 / 00334 दिनांक 11.06.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हुत्र प्रेषित है।

सा॒धा॒

11.08.2

+ 14-1147 11.00.2023 40

Jan 17/18

संयुक्त संचिव